प्रारंभिक परीक्षा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

संदर्भ

PMKSY ने कार्यान्वयन के 10 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो कृषि में सिंचाई कवरेज बढ़ाने और संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के एक दशक को चिह्नित करता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के बारे में

- **शुरुआत:** 2015
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना (कोर योजना)
- **वित्तपोषण पैटर्न:** 75:25 (सामान्य); 90:10 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य)
- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय
- विकेंद्रीकृत योजना दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य सिंचाई योजनाओं (SIPs) और जिला सिंचाई योजनाओं (DIPs) के माध्यम से कार्यान्वित।

उद्देश्य

- जिला और उप-जिला सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई निवेश का अभिसरण (convergence) प्राप्त करना।
- "प्रति बूंद अधिक फसल" (More Crop Per Drop) के तहत सूक्ष्म (precision) सिंचाई को बढ़ावा देना।
- जल स्रोतों, वितरण और कुशल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना।
- वाटरशेड दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षा सिंचित (rainfed) क्षेत्रों का विकास करना।
- जलभृत पुनर्भरण (aquifer recharge) और संधारणीय जल संरक्षण को बढ़ावा देना।

प्रमुख घटक

1. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP):** मूल रूप से 1996 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय क्षमता से परे प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना है।
2. **हर खेत को पानी (HKKP)**
    - लघु सिंचाई बुनियादी ढांचे को विकसित करके और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार करके सुनिश्चित सिंचाई का विस्तार करना।
    - **प्रमुख घटक:** इसमें वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों को मजबूत करने के साथ-साथ कमान क्षेत्र विकास (CAD), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (RRR), और भूजल विकास शामिल हैं।

PMKSY को निम्नलिखित योजनाओं को एकीकृत करके तैयार किया गया था:

योजना	मंत्रालय
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)	जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन मंत्रालय)।

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	ग्रामीण विकास मंत्रालय।
ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM)	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स(ACADEMIC BANK OF CREDITS-ABC)

संदर्भ

'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC), 'ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री' (APAAR - अपार) के साथ मिलकर, छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड के सुरक्षित, लचीले और पारदर्शी प्रबंधन को सक्षम करके भारत के डिजिटल अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) के बारे में

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल अकादमिक क्रेडिट रिपॉजिटरी।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल अकादमिक क्रेडिट रिपॉजिटरी।
- छात्रों को मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को संग्रहीत (store), संचित (accumulate), स्थानांतरित (transfer) और भुनाने (redeem) में सक्षम बनाता है।
- **विनियमित:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा।
- **मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट (MEE):** एनईपी (NEP) 2020 के तहत लचीले प्रवेश और निकास का समर्थन करता है।
- **स्वयं (SWAYAM) एकीकरण:** छात्र 'स्वयं' ऑनलाइन शिक्षण मंच के माध्यम से 40% तक अकादमिक क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।

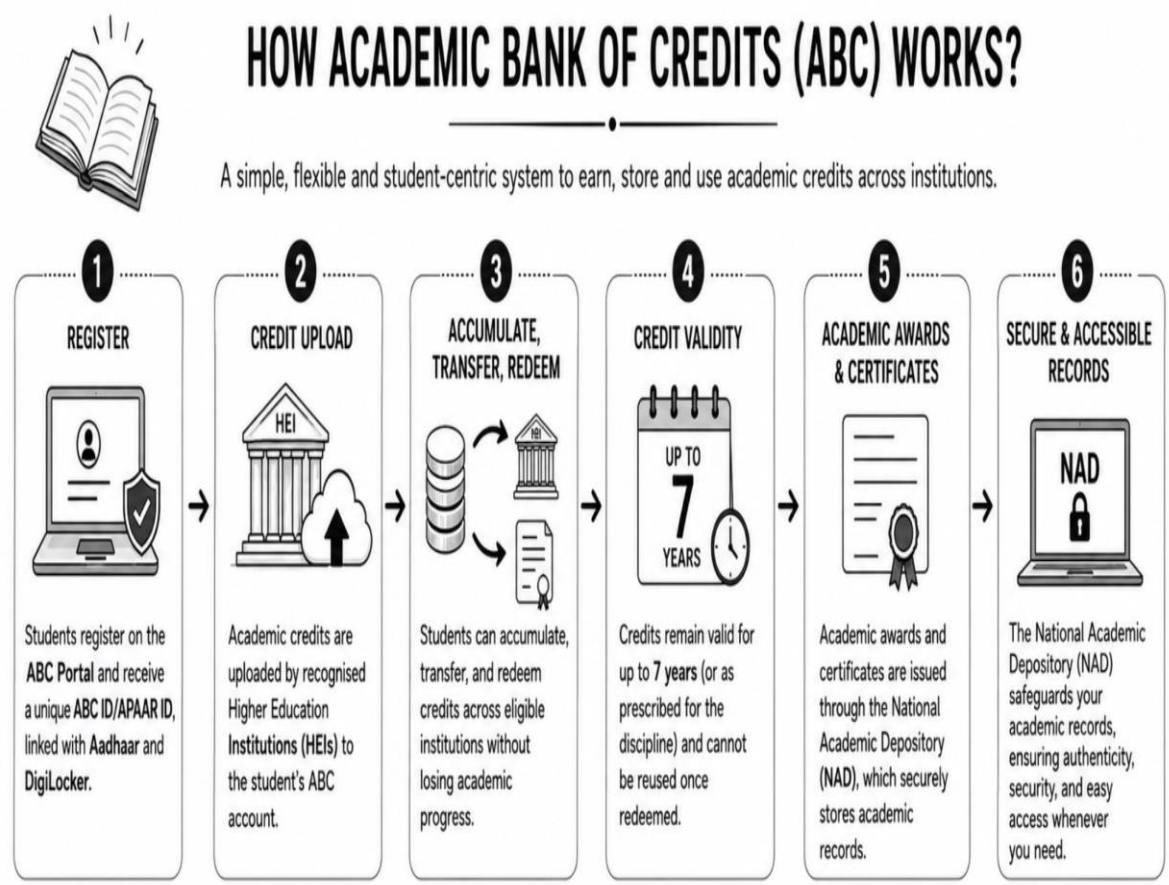

अपार (APAAR - ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी के बारे में

- अपार (APAAR) आईडी एबीसी (ABC) प्रणाली से जुड़ी एक अद्वितीय 12-अंकीय छात्र पहचान संख्या है। "एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी" (One Nation, One Student ID) पहल के हिस्से के रूप में पेश किया गया, अपार प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एकल (एक ही) अकादमिक पहचान बनाता है।

हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस (HAMBURG SUSTAINABILITY CONFERENCE-HSC) 2026

संदर्भ

तीसरी हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस (HSC) 2026 जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित की गई। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के नेता एक साथ आए।

हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस (HSC) के बारे में

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए संवाद, सहयोग और साझेदारी हेतु एक वैश्विक मंच।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ), माइकल ओटो फाउंडेशन, और हैम्बर्ग शहर की **संयुक्त पहल**।

- सम्मेलन ने **'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' (GRFC) 2026** के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला, जिसका अनुमान है कि 47 देशों में 266 मिलियन से अधिक लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं।
    - 'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' (GRFC) एक वार्षिक बहु-एजेंसी मूल्यांकन है जो तीव्र खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और जबरन विस्थापन में वैश्विक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।
    - **प्रकाशक:** संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य भागीदार संगठनों से युक्त एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (प्राधिकरण) नियम, 2026

संदर्भ

सरकार ने दूरसंचार (प्राधिकरण) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो एक नए प्राधिकरण-आधारित विनियामक ढांचे के माध्यम से दूरसंचार अधिनियम, 2023 को क्रियान्वित करता है।

दूरसंचार (प्राधिकरण) नियम, 2026 की मुख्य विशेषताएं

- **प्राधिकरण व्यवस्था (Authorisation Regime):** भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत पुराने लाइसेंस-आधारित ढांचे को राष्ट्रीय या दूरसंचार सर्कल स्तर पर दूरसंचार, इंटरनेट और लंबी दूरी की सेवाओं के लिए एक एकीकृत वैधानिक प्राधिकरण प्रणाली से बदल देता है।
- **वैधता:** प्राधिकरण अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- **वैधानिक परिभाषाएं:** एक्सेस स्पेक्ट्रम, कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क, केबल लैंडिंग स्टेशन और कोर टेलीकॉम नेटवर्क सहित प्रमुख दूरसंचार बुनियादी ढांचे और परिचालन शर्तों के लिए कानूनी परिभाषाएं पेश करता है।
- डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, दूरसंचार ऑपरेटरों को धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स (big data analytics) तैनात करने की आवश्यकता है।
- उपग्रह नेटवर्क, अर्थ स्टेशन और वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (VSAT) सेवाओं को प्राधिकरण ढांचे के भीतर लाता है; हालांकि, स्पेक्ट्रम आवंटन (assignment) और गेटवे अनुमतियों के लिए अलग-अलग अनुमोदन अनिवार्य बने हुए हैं।
- स्पष्ट करता है कि गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व (AGR) की गणना से बाहर रखा गया है।
- दूरसंचार प्राधिकरणों को संसाधित करने के लिए 'टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल' (Telecom eServices Portal) को आधिकारिक सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में नामित करता है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के बारे में

- औपनिवेशिक युग के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 को निरस्त करके भारत के दूरसंचार विनियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना।
- नीलामी के बजाय निर्दिष्ट उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन (administrative allocation) का प्रावधान करता है।
- दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए एक समान, गैर-भेदभावपूर्ण 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) ढांचा स्थापित करता है।

- दूरसंचार ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन सहित पहचान सत्यापन तंत्र निर्धारित करने के लिए सरकार को अधिकार देता है।
- **नागरिक जुर्माना ढांचा (Civil Penalty Framework)**
    - नामित अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णित नागरिक जुर्माना तंत्र (civil penalty mechanism) का परिचय देता है।
    - अपीलें नामित अपील समिति (Designated Appeals Committee) और उसके बाद दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के समक्ष दायर की जाती हैं।

एक्सोसोम (EXOSOMES)

संदर्भ

शोधकर्ता कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसी बीमारियों के शुरुआती निदान और उपचार के लिए संभावित उपकरणों के रूप में एक्सोसोम (exosomes) की खोज कर रहे हैं।

एक्सोसोम के बारे में

- एक्सोसोम छोटे बाह्यकोशिकीय पुटिकाएं (extracellular vesicles) (व्यास में 30-200 नैनोमीटर) हैं जो स्वाभाविक रूप से शरीर में लगभग सभी कोशिकाओं द्वारा छोड़ी जाती हैं।
- वे कोशिका झिल्ली के समान एक लिपिड बाइलेयर झिल्ली से घिरे होते हैं। वे अपने मूल कोशिका (parent cell) से प्राप्त प्रोटीन, लिपिड, आरएनए (RNA) और अन्य सिग्नलिंग अणु (signalling molecules) ले जाते हैं।
- वे कोशिकाओं के बीच जैविक अणुओं को स्थानांतरित करके कोशिका-से-कोशिका संचार को सुविधाजनक बनाते हैं। वे अपने मूल कोशिका की शारीरिक (physiological) या रोग संबंधी (pathological) स्थिति को दर्शाते हैं, जिससे वे रोग का पता लगाने के लिए मूल्यवान बायोमार्कर (biomarkers) बन जाते हैं।
- चिकित्सीय अणुओं को ले जाने की उनकी क्षमता के कारण गैर-आक्रामक डायग्नोस्टिक्स (non-invasive diagnostics), लक्षित दवा वितरण (targeted drug delivery), और पुनर्योजी चिकित्सा (regenerative medicine) के लिए एक्सोसोम की जांच की जा रही है।

पैलियोइंडिया पोर्टल (PALEOINDIA PORTAL)

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में भारत की जीवाश्म (fossil) विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म 'पैलियोइंडिया पोर्टल' (PaleoIndia Portal) लॉन्च किया।

पैलियोइंडिया पोर्टल के बारे में

- यह पूरे भारत से जीवाश्म अभिलेखों का एक डिजिटल भंडार (repository) है।
- **द्वारा विकसित:** भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM), चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा प्रदान किए गए गतिशील भूवैज्ञानिक मानचित्रों का उपयोग करता है।

- सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जीवाश्म जीवों (fauna) का दस्तावेजीकरण करता है।
- भारत की जीवाश्म विज्ञान (paleontological) विरासत के संरक्षण को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं और नागरिक वैज्ञानिकों से वास्तविक समय (real-time) डेटा अपलोड का समर्थन करता है।

ट्रांसकैस्पियन मारिंका (TRANSCASPIAN MARINKA)

संदर्भ

अरुणाचल प्रदेश में सांगोन (Sangon) कबीले ने हिमालयी रे-फिन्ड मछली (ray-finned fish), 'ट्रांसकैस्पियन मारिंका' के संरक्षण के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली पहल शुरू की है।

ट्रांसकैस्पियन मारिंका के बारे में

- यह रे-फिन्ड मछली की एक प्रजाति है।
- **वितरण:** मुख्य रूप से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में पाई जाती है।
- **आवास:** मीठे पानी की नदियों, झरनों, सोतों (springs) और कनातों (qanats) में निवास करती है।
- **स्थानीय नाम:** अरुणाचल प्रदेश की निशि (Nyishi) भाषा में नगार्सिंग (Ngarsing) के नाम से जानी जाती है।
- **आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट स्थिति:** कम चिंताजनक (Least Concern - LC)।

मुख्य परीक्षा

भारत के पीपीपी (PPP) मॉडल की पुनर्कल्पना

संदर्भ

2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने और 2070 तक शुद्ध-शून्य (नेट-जीरो) उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की आकांक्षा के लिए भारी बुनियादी ढांचा निवेश की आवश्यकता है। हालांकि पहली पीढ़ी के पीपीपी (PPPs) ने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया, लेकिन उनका वित्तपोषण मॉडल अस्थिर साबित हुआ। इसलिए, भारत को पूंजी परिसंचरण (capital circulation) पर आधारित दूसरी पीढ़ी के पीपीपी ढांचे की आवश्यकता है, जो दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक और निजी पूंजी के निरंतर पुनर्चक्रण (recycling) को सक्षम करे।

भारत को अपने पीपीपी मॉडल की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता क्यों है?

- **त्रुटिपूर्ण जोखिम आवंटन में सुधार:** पूर्व के पीपीपी मॉडलों ने अत्यधिक निर्माण, भूमि अधिग्रहण, विनियामक और मांग संबंधी जोखिमों को निजी विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) को हस्तांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं ठप हो गईं और 'ट्विन बैलेंस शीट' (Twin Balance Sheet) का संकट उत्पन्न हुआ।
    - उदाहरण के लिए, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (Hybrid Annuity Model - HAM) निर्माण लागत साझा करता है, जबकि सरकार भूमि अधिग्रहण और यातायात जोखिमों को वहन करती है, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार होता है।
- **पूंजी जुटाने (Capital Mobilisation) से पूंजी परिसंचरण की ओर स्थानांतरण:** बुनियादी ढांचा वित्तपोषण अब लगातार नई पूंजी जुटाने से हटकर परिचालन संपत्तियों में फंसी (locked) पूंजी को पुनर्चक्रित करने की ओर बढ़ रहा है।
    - उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs), और हाल ही में राज्य-स्तरीय संपत्ति मुद्रीकरण पहलें नए बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने के लिए ब्राउनफील्ड संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करती हैं।
- **जलवायु-अनुकूल पीपीपी ढांचे का निर्माण:** पारंपरिक पीपीपी अनुबंध उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक अनिश्चितता वाले उभरते क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त हैं, जिनके लिए नवीन वित्तपोषण संरचनाओं की आवश्यकता होती है।
    - उदाहरण के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर परियोजनाओं के लिए मिश्रित वित्त (blended finance), व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF) और विभेदित जोखिम-साझाकरण तंत्र की आवश्यकता होती है।
- **लचीले अनुबंध प्रशासन (Contract Governance) को संस्थागत बनाना:** दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेशकों का विश्वास बनाए रखने हेतु अनुमानित विनियमन, पारदर्शी अनुबंध पुनर्निगोशिएशन (renegotiation) और कुशल विवाद समाधान की आवश्यकता होती है।
    - उदाहरण के लिए, पीपीपी पर केलकर समिति ने दबावग्रस्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए संरचित अनुबंध पुनर्निगोशिएशन ढांचे और तेज विवाद समाधान की सिफारिश की।

- **विकसित भारत 2047 के लिए निजी पूंजी को आकर्षित (Crowding-in) करना:** चूंकि सार्वजनिक वित्त को बढ़ती राजकोषीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए पीपीपी को एक ऐसे तंत्र के रूप में विकसित होना चाहिए जो दीर्घकालिक निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निवेश का लाभ उठाए।
    - उदाहरण के लिए, हाल के केंद्रीय बजटों में रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के साथ, एक पुनर्कल्पित पीपीपी ढांचा संस्थागत निवेशकों, पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड को जुटाकर बुनियादी ढांचे के निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है।

पूंजी परिसंचरण बुनियादी ढांचा वित्तपोषण को कैसे बदल सकता है?

- **संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से इक्विटी का पुनर्चक्रण:** नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए इक्विटी को अनलॉक करने के लिए परिचालन बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा सकता है, जिससे नए सार्वजनिक उधार पर निर्भरता कम हो जाती है।
    - उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) नए बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी उत्पन्न करते हुए परिचालन राजमार्गों, ट्रांसमिशन लाइनों और पाइपलाइनों का मुद्रीकरण करते हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स (IDFs) के माध्यम से ऋण का पुनर्चक्रण:** दीर्घकालिक पूंजी के साथ पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण (Refinancing) वाणिज्यिक बैंकों को अतरल (illiquid) बुनियादी ढांचा ऋणों को बनाए रखने से मुक्त करता है और नए ऋण देने का समर्थन करता है।
    - उदाहरण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स (IDFs) बैंकों के परिसंपत्ति-देयता बेमेल (Asset-Liability Mismatch - ALM) को दूर करते हुए और नई परियोजना के वित्तपोषण को सक्षम करते हुए परिचालन संपत्तियों को पुनर्वित्तपोषित करते हैं।
- **दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी जुटाना:** स्थिर नकदी प्रवाह वाली परिपक्व बुनियादी ढांचा संपत्तियां पूर्वानुमानित (predictable) रिटर्न की तलाश करने वाले धैर्यवान निवेशकों (patient investors) को आकर्षित करती हैं।
    - उदाहरण के लिए, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और सॉवरेन वेल्थ फंड InvITs के माध्यम से परिचालन बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं।
- **संप्रभु राजकोषीय गुंजाइश (Sovereign Fiscal Space) का विस्तार:** संपत्ति का पुनर्चक्रण सरकारों को राजकोषीय घाटे या सार्वजनिक ऋण को आनुपातिक रूप से बढ़ाए बिना बुनियादी ढांचे के निवेश को बनाए रखने की अनुमति देता है।
    - उदाहरण के लिए, एनएमपी (NMP) के माध्यम से अनलॉक की गई पूंजी एफआरबीएम (FRBM) ढांचे के तहत राजकोषीय समेकन का समर्थन करते हुए निरंतर बुनियादी ढांचे पर खर्च को सक्षम बनाती है।
- **कॉरपोरेट बैलेंस शीट डी-लेवरेजिंग:** परिपक्व संपत्तियों का मुद्रीकरण निजी विकासकर्ताओं को ऋण कम करने, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में फिर से निवेश करने में सक्षम बनाता है।
    - उदाहरण के लिए, परिचालन संपत्तियों को InvITs में स्थानांतरित करके, बुनियादी ढांचा विकासकर्ता अपनी बैलेंस शीट को डी-लेवरेज कर सकते हैं, जिससे 'ट्विन बैलेंस शीट संकट' की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है और नई पीपीपी परियोजनाओं को शुरू करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है।

अगली पीढ़ी के पीपीपी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए किन संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है?

- **गतिशील अनुबंध प्रशासन को संस्थागत बनाना:** कठोर पीपीपी अनुबंधों को अनुकूलन योग्य (adaptive) ढांचों से बदलें जो दीर्घकालिक आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए पारदर्शी, नियम-आधारित पुनर्निगोशिएशन (renegotiation) की अनुमति देते हैं।
    - उदाहरण के लिए, केलकर समिति ने पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखते हुए दबावग्रस्त पीपीपी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए संरचित अनुबंध पुनर्निगोशिएशन तंत्र की सिफारिश की।
- **स्वतंत्र वैधानिक नियामकों की स्थापना:** निष्पक्ष निगरानी, नीतिगत निश्चितता और निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की परियोजना प्रायोजक के रूप में भूमिका को नियामक के रूप में उसकी भूमिका से अलग करना।
    - उदाहरण के लिए, जबकि दूरसंचार (TRAI) और हवाई अड्डों (AERA) जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक हैं, राजमार्गों और रेलवे तक समान नियामक मॉडल का विस्तार करने से हितों के टकराव और 'नियामक नियंत्रण' (regulatory capture) को कम किया जा सकता है।
- **विशेष बुनियादी ढांचा विवाद समाधान तंत्र बनाना:** समर्पित बुनियादी ढांचा न्यायाधिकरणों और आधुनिक मध्यस्थता ढांचों के माध्यम से संविदात्मक (contractual) विवादों को फास्ट-ट्रैक करना।
    - उदाहरण के लिए, विशेष बुनियादी ढांचा न्यायाधिकरण और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) में सुधार मुकदमेबाजी-प्रेरित परियोजना की देरी को कम कर सकते हैं।
- **समर्पित सुविधाओं के माध्यम से परियोजना की तैयारी को संस्थागत बनाना:** निविदा (tendering) से पहले तकनीकी, वित्तीय, कानूनी और पर्यावरणीय तैयारी पूरी करके परियोजना की बैंक-योग्यता (bankability) को मजबूत करना।
    - उदाहरण के लिए, एक परियोजना तैयारी सुविधा (PPF) यह सुनिश्चित करके कि निजी बोली से पहले भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी और परियोजना संरचना पूरी हो गई है, "प्लग-एंड-प्ले" मॉडल का संचालन कर सकती है।
- **उप-संप्रभु (Sub-Sovereign) पीपीपी क्षमता का निर्माण:** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने, वित्तपोषित करने और प्रबंधित करने के लिए विशेष संस्थानों के साथ राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाना।
    - उदाहरण के लिए, समर्पित नगर निगम पीपीपी सेल शहरी परिवहन, जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरपालिका बांड, मिश्रित वित्त और अभिनव पीपीपी मॉडल का उपयोग करके परियोजनाओं की संरचना कर सकते हैं।